न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

वाद पत्र संख्या 259 / 2017 निर्णय दिनांक :– 11.7.19

उनवान

कन्हैयालाल वगै0 बनाम जगदीश वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी बाबत खारिज किये जाने वादपत्र

प्रतिवादीगण / प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया :–

वादीगण द्वारा एक मिथ्या एवं फर्जी आधारों पर वादपत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा बिना किसी आधार के कथन किया है कि राजस्व कर्मचारियों की उपेक्षा से सहवन से पूर्वजों के समय बिना सूचना दिये राजस्व रिकार्ड संवत 2020 से 2022 में खसरा नम्बर 208, 209, 210 प्रतिवादी जगदीश पुत्र मंगला के नाम सहवन से दर्ज हो गया है जबकि उक्त वादपत्र का कोई आधार नही होने से वादपत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वादीगण ने मिथ्या कथन वर्णित किये है जबकि वादीगण ने ना तो पुराना मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है तथा ना ही सजरा के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये गये है। प्रतिवादीगण की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 208, 209, व 210 प्रारंभ से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों की ही है। उक्त कृषि भूमि [illegible] से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों की कब्जे काश्त व स्वामित्व की रही [illegible] वादीगण का कोई लेना देना व सरोकार नही है तथा सं[illegible] 2020 – 2022 [illegible]तिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जगदीश पुत्र मंगला के नाम जमाबंदी में दर्ज है तथा प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त मालिक स्वामी है।

उक्त कृषि भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 208, 209 व 210 के पुराने साबिक खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण ने पूर्वजों के कब्जे काश्त व स्वामित्व के ही रहे है। पुराने साबिक खसरा नम्बरान 333, 335, 334/4, 336, 337, 338 गलती से छीतर व ग्यारसा पिता रूघनाथ के पर्चे में लग गये थे जो कि छीतर व ग्यारसा पिता रूद्यनाथ मीना ने स्वयं दिनांक 06.09.1959 को पटवारी व तहसीलदार साहब के समक्ष वार्ड पंच व सरपंच की उपस्थिति में जाहिर करके सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही विधिवत रूप से करते हुए नामान्तकरण दुरूस्त करते हुए उक्त कृषि भूमि जगदीश पुत्र मंगला मीना के नाम लगवाकर उक्त नामान्तकरण खुलवाया है जो कि प्रमाणित विधि के अनुसार पूर्ण रूप से कानूनी वैद्य है तथा नामान्तकरण पंजिका में वैद्यानिक रूप से दर्ज किया जाकर कृषि भूमि प्रतिवादी जगदीश पुत्र मंगला मीणा बोलपुरा के नाम खातेदारी में जमाबंदी में नामान्तकरण के अनुरूप वैद्य रूप से दर्ज है तथा प्रतिवादी प्रारंभ से ही उक्त कृषि भूमि पर पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है तथा नामान्तकरा व जमाबंदी में रिकोर्डेड खातेदार काबिज, मालिक स्वामी है।

प्रतिवादी विधिवत रूप से नामान्तकरण के अनुसार मालिक स्वामी व काबिज है जिससे वादीगण का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई संबन्ध व सरोकार नहीं है। [illegible] की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। इस [illegible] व प्रार्थना पत्र का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

आधार नही होने तथा मिथ्या कथनों पर आधारित होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रतिवादी वैद्य प्रक्रिया से नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी में दर्ज रिकार्डेड मालिक स्वामी है तथा पूर्वजों के समय से ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के मालिक स्वामी काबिज है। प्रस्तुत वादपत्र मियाद बाहर होने तथा झूठे तथ्यों पर हैरान व परेशान करने की नियत से पेश होने के कारण वैद्य नामान्तकरण व रिकोर्डेड जमाबंदी के आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधारों के अनुरूप वादीगण का वादपत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र चलने योगय नही होने से खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की पेश होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी/अप्रार्थी को दी गयी तो वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया कि :-

मद संख्या एक में वर्णित तथ्य फर्जी आधारों पर वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है को प्रतिवादीगण स्वयं साबित करें एव अन्य कथन सही है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड संवत 2020 से 2022 में खसरा नम्बर 208, 209, व 210 राजस्व कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार व सहवन से जगदीश पुत्र मंगला के नाम दर्ज है इससे पहले के रिकार्ड मे वादीगण के पूर्वजों के नाम चला आ रहा है।

मद संख्या दो गलत होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि 2020 से 2022 के पहले उक्त खसरा नम्बर वादीगण के पूर्वजो के नाम ही था व आज तक भी वादीगण उनका उपयोग उपभोग करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

आ रहे है। मद संख्या तीन में संवत 2020 से 2022 के पहले से ही प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त होना गलत है एवं प्रतिवादी संवत 2020 से 2022 से पहले का रिकार्ड पेश करें न्यायालय के सामने स्थिती स्पष्ट हो जावेगी।

मद संख्या चार को प्रतिवादीगण स्वयं सिद्ध व प्रमाण देकर सिद्ध करें। मद संख्या 4 में प्रतिवादीगण ने स्वयं मान लिया है कि उक्त कृषि भूमि के खसरा में पुराने 333, 335, 334/4, 336, 337, 338 गलती से छीतर व ग्यारसा पिता रूघनाथ के पर्चो में लग गये थे। जबकि वास्तव में उक्त खसरा नम्बर वादीगण के ही है व आज भी उपयोग उपभोग में लिये जा रहे है।

मद संख्या 5 संवत 2020 से 2022 से पहले का रिकार्ड करने पर स्थिति स्पष्ट हो जावेगी क्योंकि पुराने राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी जगदीश पुत्र मंगला की हीरापुरा पटवार हल्का में कोई भूमि आवंटित ही नही थी ना ही है। यह स्थिति राजस्व कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार व सहवन से जगदीश पुत्र मंगला के नाम राजस्व संवत 2020–2022 में ही लगी है उससे पूर्व वादीगण के पूर्वजों के नाम इन्द्राज है व वादीगण काबिज काश्त है।

मद संख्या 6 राजस्व कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार व सहवन के कारण नामान्तकरण खुला है जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य है। एवं वादीगण की जानकारी में आते ही वादपत्र व प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया है कि श्रीमान न्यायालय हाजा द्वारा श्रवण कर निर्णय करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जवाब प्रार्थना पत्र उक्त सभी मदो का क्रमबद्ध रूप से जवाब देकर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र व प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के आदेश फरमावे एंड वादीगण के प्रार्थना पत्र को वादपत्र के निर्णय होने तक परमानेंट टीआई के आदेश फरमावे।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी ने दावा बिना किसी आधार के पेश किय है, राजस्व रिकार्ड संवत 2020 से 2022 में खसरा नम्बर 208, 209, 210 प्रति जगदीश पुत्र मंगला के नाम से दर्ज हो गया। वादीगण ने न तो पुराना मिलान क्षेत्रफल पेश किया ना ही सजरा के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये। कृषि भूमि खसरा नम्बर 208, 209, 210 प्रारंभ से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों की है। प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। खासरा नम्बर 208, 209, 210 को पुराने साबिक खसरा नम्बर प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त रहे पुराने साबिक खसरा नम्बर 333, 335, 334/4, 336, 337, 338 सहवन से छीतर व ग्यारसा पिता रूघनाथ के पर्चे में लग गये थे जो छीतर व ग्यारसा पुत्र रूघनाथ मीणा स्वयं दिनांक 06.09.1959 को पटवारी व तहसीलदार समस्त वार्डपंच व सरपंच की उपस्थिती में जाहिर करके सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही विधिवत रूप से करते हुये नामान्तकरण दुरूस्त करते हुये उक्त कृषि भूमि जगदीश पुत्र मंगला मीणा के नाम लगवाकर उक्त [illegible]करण खुलवाया। प्रतिवादी जगदीश पुत्र मंगला [illegible]री में जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नामान्तकरण वैद्य रूप से दर्ज है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी वादी वकील ने जवाब बहस में प्रार्थी/ प्रतिवादी की बहस का खंडन करते हुये कथन किया राजस्व रिकार्ड सम्वत 2020 से 2022 में खसरा नम्बर 208, 209 व 210 सहवन से जगदीश पुत्र मंगला के नाम दर्ज रिकार्ड है व वादीगण के पूर्वजों के नाम चला आ रहा था। संवत 2020–22 के पहले उक्त खसरा नम्बर वादीगण के पूर्वजों के नाम ही था। उक्त खसरा नम्बर 333, 335, 334/4, 336, 337, 338 गलती से छीतर व ग्यारसा पिता रूघनाथ के पर्चे में लग गये थे। जबकि वास्तव में उक्त खसरा नम्बर वादीगण के ही है। संवत 2020–22 से पहले का रिकार्ड देखने पर स्पष्ट हो जायेगा। क्योंकि पुराने रिकार्ड के आधार पर जगदीश पुत्र मंगला का हीरापुरा में कोई भूमि आवंटित नही थी, सहवन से जगदीश पुत्र मंगला के नाम राजस्व सम्वत 2020–22 में लगी है, उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से व सहवन से नामान्तकरण खुला है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तकरण एवं अन्य दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादी ने पुराना, मिलान क्षेत्रफल व सजरा के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। जबकि प्रतिवादीगण की उक्त कृषि भूमि [illegible] नम्बर 208, 209, 210 प्रारंभ से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों [illegible] 2020–22 से प्रतिवादी जगदीश पुत्र मंगला के नाम जमाबंदी में दर्ज है व प्रतिवादी उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

पर काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 209, 208, 210 के पुराने साबिक खसरा नम्बर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। पुराने साबिक खसरा नम्बरान 333, 335, 334/4, 336, 337, 338 गलते से छीतर व ग्यारसा पिता रूघनाथ के पर्चे में लग गये थे जो छीतर व ग्यारसा पिता रूघनाथ ने स्वयं दिनांक 06.09.1959 को पटवारी व तहसीलदार समस्त वार्ड पंच व सरपंच की उपस्थिति में नामान्तकरण संख्या 18 बाद जांच नियमानुसार तस्दीक करवाया जाकर जगदीश पुत्र मंगला के नाम नामान्तकरण खुलवाया था। मजमें आम खुलवाया था व स्वयं छीतर व ग्यारसा मौजूद थे व उन्होंने नामान्तकरण खोले जाने बाबत कहा गया था। उक्त नामान्तकरण मजमे आम खोला गया था व उक्त नामान्तकरण के माध्यम स ही जगदीश पुत्र मंगला के नाम वादग्रस्त भूमि नाम लगी तभी से काबिज काश्त है। उक्त नामान्तकरण 06.09.1959 से लेकर आदिनांक तक किसी के द्वारा अपील नही की गयी, 60 वर्ष वाद वादीगण द्वारा पेश किया गया। उक्त नामान्तकरण पंजिका में दर्ज है। प्रतिवादी विधिवतरूप से नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड मालिक व स्वामी है। इस प्रकार वादीगण द्वारा गलत रूप से गलत तथ्य अंकित करते हुये वाद पेश किया गया, न ही वादीकरण को वाद पेश करन हेतू वादकारण उत्पन्न हुआ है। क्योंकि स्वयं ही वादीगण के पूर्वज छीतर, ग्यारसा पुत्र रूघनाथ के द्वारा अपने नाम गलत भूमि जो प्रतिवादीगण के पूर्वजों की थी उसके समक्ष पंचायत कोरम के समक्ष उपस्थित होकर नामान्तकरण द्वारा दिनांक 09.05.1959 को समस्त उपस्थित पंचायत के सरपंच, उपसरपंच तहसीलदार व सदस्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

के सामने आकर नामान्तकरण खुलवाया गया है जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही होने से ही होने के कारण वाद कारण पैदा ही नही हुआ इस प्रकार बिना वादकारण व बिना किसी आधार के दावा पेश किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत होने से दावा काबिले खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 का प्रतिवादी का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:21 IST
Reason: SelfAttested